LL.B.6SEM. C.P.C.

DEFFERENCE BETWEEN RES -JUDICATA AND ESTOPPEL.

BY.BANSHLOCHAN PRASAD.
ASSISTANT PROFESSOR.
NGB(DU). PRAYAGRAJ.

Scanned with CamScanner

प्रांग न्याय और विबंध में अंतर –

1. प्रांग न्याय **सिविल प्रक्रिया संहिता** की **धारा 11** का नियम है जबकि विबंध **साक्ष्य अधिनियम** की धारा **115** का नियम है।

2. प्रांग न्याय न्यायालय के अंतिम निर्णय से उत्पन्न परिणाम होता है जबकि विबंध पक्षकारों के कार्यों से उत्पन्न परिणाम होता है।

3. प्रांग न्याय का उद्देश्य वादों की बहुलता या व्यर्थ की मुकदमेबाजी को रोकना है जबकि विबंध का उद्देश्य किसी व्यक्ति को अपनी बात से मुकरने या प्रतिकूल आचरण करने से रोकना है।

4. प्रांग न्याय वाद के दोनों पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है जबकि विबंध केवल उसी पक्षकार पर बाध्यकारी होता है जिसके कथन पर विश्वास करके दूसरा पक्षकार अपनी पूर्व स्थिति बदल लेता है।

5. प्रांग न्याय पश्चातवर्ती वाद का परीक्षण करने वाले न्यायालय के ऐसे क्षेत्राधिकार को बाधित करता है जबकि विबंध केवल कथन करने वाले पक्षकार को अपने पूर्व कथन से मुकरने से बाधित करता है।

6. प्रांग न्याय का सिद्धांत लोकनीति पर आधारित है अतः वह राज्य एवं जनता दोनों के व्यापक हित में है जबकि विबंध का सिद्धांत केवल किसी एक पीड़ित पक्षकार के हित में है।

7. प्रांग न्याय पूर्ववर्ती के निर्णयों को अंतिमता प्रदान करते हुए उसकी सत्यता में विश्वास प्रकट करता है जबकि विबंध कथन करने वाले पक्षकार के पूर्व कथन को अन्तिमता प्रदान करते हुए उसकी सत्यता में विश्वास प्रकट करता है।

Scanned with CamScanner